

GOVERNMENT OF INDIA/भारत सरकार  
MINISTRY OF RAILWAYS/रेल मंत्रालय  
(Railway Board) रेलवे बोर्ड

S.No. PC-VII/129  
No. PC-V/2017/A/TA/1

R B E No. 34 /2019  
New Delhi, dated 22-02-2019

The GMs/OSDs/CAO(R)s,  
All Indian Railways and PUs.

Sub: Grant of Transport Allowance to Railway Employees availing  
concessional Season Ticket/Suburban passes.

Ref: Railway Board's letter No. PC-V/97/1/7/12 (Pt.4) dated 27-9-1999  
(RBE No. 242/99)

References have been received from a few Railways seeking clarification regarding grant of Transport Allowance to Railway employees availing Concessional Season Ticket/Suburban passes. In this regard it is stated that there is no change in the instructions contained in Board's letters dated 12-9-2008 (RBE No.111/2008), 23-01-2009 (RBE No. 16/2009) and 03-8-2017 (RBE No. 84/2017). These orders do not prohibit payment of Transport Allowance to Railway employees availing Concessional Season Tickets/Suburban passes.

2. This issues with the concurrence of the Finance Directorate.
3. Hindi version is enclosed.



(Subhankar Dutta)  
Deputy Director, Pay Commission-V  
Railway Board

No. PC-V/2017/A/TA/1

New Delhi, dated 22-02-2019

Copy (with 40 spares) forwarded to ADAI (Railways), New Delhi.



For Financial Commissioner, Railways

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA  
रेल मंत्रालय / MINISTRY OF RAILWAYS  
(रेलवे बोर्ड / RAILWAY BOARD)

क्र.सं.पीसी-VII/129  
सं.पीसी-V/2017/एटीए/1

आरबीई सं. 34/2019  
नई दिल्ली, दिनांक: 22.02.2019

महाप्रबंधक/ओएसडी/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (आर),  
सभी भारतीय रेलों और उत्पादन इकाइयां

**विषय:** रियायती सीज़न टिकट/उपनगरीय पास की सुविधा लेने वाले रेल कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करना।

**संदर्भ:** रेलवे बोर्ड का दिनांक 27.09.1999 का पत्र सं.पीसी-V/97/आई/7/12 (पार्ट 4) (आरबीई सं.242/99)

कुछ रेलों से पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें रियायती सीज़न टिकट/उपनगरीय पास की सुविधा लेने वाले रेल कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान करने के बारे में स्पष्टीकरण मांगा गया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि बोर्ड के दिनांक 12.09.2008 (आरबीई सं.111/2008), 23.01.2009 (आरबीई सं.16/2009) और 03.08.2017 (आरबीई सं.81/2017) में अंतर्विष्ट अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। इन आदेशों में रियायती सीज़न टिकट/उपनगरीय पास की सुविधा लेने वाले रेल कर्मचारियों को परिवहन भत्ते का भुगतान करने पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है।

2. इसे वित्त निदेशालय की सहमति से जारी किया जा रहा है।



(शुभांकर दत्ता)  
उप निदेशक, वेतन आयोग-V  
रेलवे बोर्ड